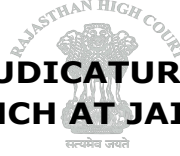




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10389/2026
URN: CRLMB / 19246U / 2026

Dheeraj Kumar S/o Murari Lal, R/o Khondalya Ki Dhani, Tan
Karnawar, P.s. Baswa, District Dausa
(At Present Confined In Sub Jail Bandikui).

-----Petitioner/Accused

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohar Pal Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, Addl. GA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

17/07/2026

प्रार्थी-अभियुक्त **धीरज कुमार पुत्र मुरारी लाल** की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस के अन्तर्गत पुलिस थाना-**बांदीकुई**, जिला-**दौसा**, में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 335/2026, अपराध अन्तर्गत 8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने कथन किया कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी-अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त से जो 9 ग्राम 60 मिलीग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, वह अल्प मात्रा से मामूली-सी अधिक एवं वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जो एक प्रकरण दर्ज होना बताया है, उसमें वह जमानत पर आजाद है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 25-06-2026 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण



के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

मैंने पत्रावली का गहनतापूर्वक व सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया।

ऐसे में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **धीरज कुमार पुत्र मुरारी लाल** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **पचास हजार रुपये** का बन्ध-पत्र तथा **पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता ना हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थी-अभियुक्त व उसके प्रतिभू के वर्तमान पते को सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थी-अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में अविलंब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए—

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी



सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।

2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन (अवकाश होने पर अगले दिन) संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है या उसमें लिप्त पाया जाता है तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(BHUWAN GOYAL),J